झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/205/2018 ....राँची, दिनांकः.........................

प्रेषकः

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषयः लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन परिशिष्ट–I के अनुसार 5 अदद बाँध/मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रू0 158.751 लाख (रूपये एक करोड़ अन्ठावन लाख पचहत्तर हजार एक सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन परिशिष्ट–I के अनुसार 5 अदद बाँध/मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रू0 158.751 लाख (रूपये एक करोड़ अन्ठावन लाख पचहत्तर हजार एक सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 स्वीकृत प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।

3 स्वीकृत योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य की कुल लागत राशि रू॰ 158.751 लाख है। उक्त योजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत कुल 159 हे0 (खरीफ 127 हे0 एवं रब्बी 32 हे0) सिचंन क्षमता पुनर्जीवित होगी। वर्त्तमान में इन योजनाओं से कुल 75 हे0 खरीफ में सिचन सुविधा उपलब्ध है। योजनाओं का औसत इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रू॰ 99843/–प्रति हेक्टेयर आकलित है। योजनावार विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–I पर संलग्न है।

4 इन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्त्तो के साथ प्रदान की गई है–

(i) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।

(ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री–लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच सहायक अभियंता के द्वारा एंव (50%) पचास प्रतिशत जाँच कार्यपालक अभियंता द्वारा की जाएगी। प्री–लेवल की जांच असम्बंद्ध प्रमंडल से कराने के उपरांत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायगा।

(iii) स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र के आकलन तथा प्राक्कलन के मद एंव मात्रा की जाँच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सिंचाई हेतु आउटलेट (गेट चालित/स्लूइस वाल्व) का निर्माण कमांड एरिया के लेवल के अनुसार होगा।

(iv) कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को रखते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

(v) योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारी प्राक्कलन में Manual Labour को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इससे संबंधित मदो का यथास्थित समावेश करते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाएगी।

(vi) वैसी योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कराया जायगा जिन योजनाओं पर विगत पाँच वर्षो में किसी भी मद से पुनर्स्थापन / जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है।

(vii) स्वीकृत योजनाओं का ज़ीर्णोद्धार लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख–रखाव का दायित्व होगा। **जिस कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थल पर योजना का जीर्णोद्धार कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

(viii) वैसे भूखण्ड पर निर्मित होने वाले सिंचाई योजनाएँ जिनमें भू–स्वामी द्वारा महामहिम राज्यपाल झारखंड के नाम से निजी भूमि का हस्तानान्तरण किया जाता है उनका विधि सम्मत हस्तानान्तरण होने के उपरांत ही योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराया जाएगा।

(ix) उपरोक्त कंडिका '4' (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) & (viii) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन् प्रारंभ किया जाएगा।

5. स्वीकृत प्रस्ताव पर होने वाला व्यय निम्न रूप से भारित होगाः–

(क) परिशिष्ट–I के अनुसार अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत होने वाला व्यय की राशि बजट शीर्ष "मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–101–सतही जल–उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45 निर्माण कार्य" अंतर्गत भारित होगा।

(ख) परिशिष्ट–I के अनुसार जनजातिय क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत होने वाला व्यय की राशि बजट शीर्ष "मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य" अंतर्गत भारित होगा।

6. इन योजनाओं को वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ कर वर्ष 2019–20 में पूर्ण किया जाएगा।

7. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़/ मेदिनीनगर/लातेहार/गोडड्डा होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी संबंधित मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/ दुमका होंगे।

8. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

9. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

11. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0ः– परिशिष्ट–I

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/205/2018 ....राँची, दिनांकः..........................

प्रतिलिपिः योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ प्रेषित।

अनु0ः–यथोक्त्।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/205/2018 ....राँची, दिनांकः..........................

प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0ः–यथोक्त्।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी०/205/2018 ....राँची, दिनांकः..........................

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई / संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनु0ः–यथोक्त्।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी०/205/2018 ....राँची, दिनांकः..........................

प्रतिलिपिः आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग/पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0ः–यथोक्त्।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी०/205/2018 ....राँची, दिनांकः..........................

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0ः–यथोक्त्।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी०/205/2018 04/18-19 प॰स्वी॰ राँची, दिनांकः 26.04.2018

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अनु0ः–यथोक्त्।

26/04/2018

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

26/04/18

लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन मुख्यमंत्री जनसंवाद के आलोक में स्वीकृत 5 (पाँच) अदद लघु सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य की विवरणी :-

परिशिष्ट–1

क्रम सं0	ल0सिं0 प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (लाख में)	वर्त्तमान सिंचन क्षमता (हे0) खरीफ	रब्बी	कुल	रूपांकण सिंचन क्षमता (हे0) खरीफ	रब्बी	कुल	पुर्नजिवित सिंचन क्षमता (हे0) खरीफ	रब्बी	कुल	Incidence of Cost (Lakh Per. Ha.)	अभि0
1	*2*	*4*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		(क) बजट शीर्ष–4702–101 (OSP)–20–05–45 अंतर्गत स्वीकृत लघु सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार की विवरणी :–														
1	गोडड्डा	बुइया बांध का जीर्णोद्धार	गोडड्डा	पत्थरगामा	17.363	10	0	10	25	5	30	15	5	20	0.868	
2	गोडड्डा	लसोतिया बांध का जीर्णो0 कार्य	गोडड्डा	पत्थरगामा	19.830	15	0	15	25	5	30	10	5	15	1.322	
3	रामगढ़	जिवाधन महतो के घर के नजदीक आहर का जीर्णोद्धार	हजारीबाग	विष्णुगढ़	14.853	0	0	0	12	2	14	12	2	14	1.061	
4	मेदिनीनगर	ग्राम–छत्तरपुर में वरनपुरवा आहर का जीर्णोद्धार	पलामू	तरहसी	29.246	10	0	10	40	10	50	30	10	40	0.731	
		योग :–			*81.292*	*35*	*0*	*35*	*102*	*22*	*124*	*67*	*22*	*89*		
		(ख) बजट शीर्ष–4702–796 (TSP)–20–05–45 अंतर्गत स्वीकृत लघु सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार की विवरणी :–														
1	लातेहार	सवानो मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	लातेहार	लातेहार	77.459	40	0	40	100	10	110	60	10	70	1.107	
		योग :–			*77.459*	*40*	*0*	*40*	*100*	*10*	*110*	*60*	*10*	*70*		
		सकल योग :–			*158.751*	*75*	*0*	*75*	*202*	*32*	*234*	*127*	*32*	*159*		

पत्रांक 04/18-19 प्र.स्वी. दिनांक 26.04.2018

26/04/2018
उप सचिव (अभि0)
जल संसाधन विभाग,
26/04/18

06.04.18